मु0न0ः–76 / 2024

उनवानः– राजवीर बनाम कैदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 76 / 2024

दिनांकः– 02.12.2024

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. राजवीर पुत्र रामजीलाल मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम।

(सायल)

बनाम

1. कैदार पुत्र रामजीलाल मीना
2. पप्पूराम पुत्र रामजीलाल मीना
3. मक्खन पुत्र रामजीलाल मीना
4. रामप्यारी पत्नि रामजीलाल मीना
   समस्त निवासीयान गोरडा तहसील टोडाभीम।
5. उप पंजीयक टोडाभीम
6. तहसीलदार टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायल
श्री राजकुमार एडवोकेट गैरसायल न0 1 व 3
श्री रामअवतार शर्मा गैरसायल न0 2 व 4

निर्णय

दिनांक 05.05.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 1404 / 0.25, 1416 / 0.11, 1419 / 1755 / 0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.41 है0 मे सायल बहिस्सा 1 / 20, गैरसायल न0 1 ता 4 प्रत्येक 1 / 20–1 / 20 के व दावे के प्रतिवादीगण 5 ता 8 प्रत्येक 1 / 24–1 / 24 प्रतिवादी न0 9 बहिस्सा 1 / 6, प्रतिवादी न0 10 बहिस्सा 1 / 4 तथा मृतक रमसी बहिस्सा 1 / 6 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, मृतक रमसी लाऔलाद फौत हुआ है उसने अपने पीछे अपना खास भाई बदरी तथा भाई हजारी के वारिस प्रतिवादी न0 5 ता 8 है को वारिसान के रूप मे छोडा है जो उसके लीगल वारिस जायज कानूनी वारिस है तथा उनके तर्के पर काबिज है तथा अपने–अपने हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0.न0 1139 / 0.10, 1418 / 1753 / 0.03 कुल किता 2 कुल रकवा 0.13 है0 मे सायल बहिस्सा 1 / 20, गैरसायल न0 1 ता 4 प्रत्येक 1 / 20–1 / 20 के व दावे के प्रतिवादीगण 5 ता 8 प्रत्येक 1 / 24–1 / 24 प्रतिवादी न0 9 बहिस्सा 1 / 12, प्रतिवादी न0 10 बहिस्सा 1 / 4, प्रतिवादी न0 11 बहिस्सा 1 / 6, प्रतिवादी न0 12 बहिस्सा 1 / 6 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं काबिज एवं दखील है।

यह है कि गैरसायलान 1 ता 4 लठैत पैसे वाले व्यक्ति है जो बिना अधिकार के सायल की सम्पूर्ण आराजी पर लट्ठ के बल पर कब्ज करना चाहते है जबकि कानूनी रूप से उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:39 IST
Reason: SelfAttested

बांका दिनांक 18.11.2024 को सायल [illegible] हि[illegible] की आराजी मे खडी फसल की देखभाल कर रहा था कि गैरसायलान आये तथा [illegible] तुम इस आराजी मे ये क्या कर रहे हो इस पर सायल ने गैरसायलान से कहा कि फसल की देखभाल कर रहा हूं मैने मेरे हिस्से की आराजी मे काश्तत की है तथा मे ही काश्त कर रहा हूं तुम्हारा मेरे हिस्से की आराजी से क्या संबध है इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हम तो इस आराजी से तुमको बेदखल करके रहेगे तथा इसमे निर्माण करके रहेगे तथा तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

तो तुमको गांव से भगा देगे तथा समस्त आराजी पर कब्जा कर लेगे इस पर सायल द्वारा बटवारा को कहा तो गैरसायलान ने रूप से मना कर दिया इस प्रकार गैरसायलान 1 ता 4 अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तथा आराजी से बेदखल कर कब्जा कर लिया तथा आराजी का बेचान कर दिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही हो सकेगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायल का प्राईमाफेसी केश साबित है सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को को कोई क्षति नही है जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम गोरडा की आराजीयात ख0न0 1139 / 0.10, 1418 / 1753 / 0.03, 1404 / 0.25, 1416 / 0.11, 1419 / 1755 / 0.05 है0 मे सायल के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, सायल को बेदखल नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे निर्माण नही करे, तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 5 व 6 उपस्थित, गैरसायल न0 2 व 4 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 2 व 4 प्रत्येक 1 / 20–1 / 20 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के अन्य मुताबिक जमाबन्दी सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे साबित है तथ सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को क्षति हो जावेगी जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 6 कुल रकवा 0.53 है0 मे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने पर कोई आपत्ति नही है।

गैरसायल न0 1 व 3 ने जरिये वकालतन काउन्टर क्लेम जबाब इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीया तमे सायल के पक्ष मे प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन साबित नही है वर्णित आराजीयात मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से सायल को कोई अपूर्तनीय क्षति किसी प्रकार की नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कभी भी संभवन नही हो सकेगी। काउन्टर क्लेम मे कथन किया है कि वर्णित आराजीया तमे गैरसायल न0 1 व 3 बहिस्सा 1 / 20–1 / 20 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर अपने रिकार्ड के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। मुताबिक रिकार्ड व हिस्सा बटवारा किया जाकर गैरसायलान का काउन्टर क्लेम डिक्री कर दिया जावे। गैरसायल न0 1 व 3 की कब्जे काश्त व रिकार्ड के अनुसार बटवारा किया जाकर गैरसायल न0 1 व 3 काउण्टर क्लेम डिक्री किया जावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाते हुये मुताबिक रिकार्ड व हिस्सा बटवारा किया जाकर अलग खातेदार कायम किया जाकर काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम गोरडा की आराजीयात ख0न0 1139 / 0.10, 1418 / 1753 / 0.03, 1404 / 0.25, 1416 / 0.11, 1419 / 1755 / 0.05 है0 मे सायल मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार का[illegible] दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से मे गैरसायलान व दावे के अन्य प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। गैरसायलान, सायल को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते है, जबकि मौके पर सायल जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार काबिज [illegible]ल का प्राईमाफेसी केश साबित है सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि सायल के हिस्से मे दर्ज आराजीयात से बेदखल नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गैरसायल न0 2 व 4 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 2 व 4 प्रत्येक 1/20–1/20 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के अन्य मुताबिक जमाबन्दी सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे साबित है तथ सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को क्षति हो जावेगी जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 5 कुल रकवा 0.53 है0 मे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने पर कोई आपत्ति नही है।

गैरसायल न0 1 व 3 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 2 व 4 प्रत्येक 1/20–1/20 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के अन्य मुताबिक जमाबन्दी सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं सायल के पक्ष मे प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन साबित नही है वर्णित आराजीयात मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से सायल को कोई अपूर्तनीय क्षति किसी प्रकार की नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कभी भी संभवन नही हो सकेगी। काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाते हुये मुताबिक रिकार्ड व हिस्सा बटवारा किया जाकर अलग खातेदार कायम किया जाकर काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम गोरडा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे खाता न0 307 मे कुल किता 3 कुल रकवा 0.41 है0 मे सायल बहिस्सा 1/20, गैरसायल न0 1 ता 4 प्रत्येक 1/20–1/20 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से मे अन्य जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 143 कुल किता 2 कुल रकवा 0.13 है0 मे सायल बहिस्सा 1/20, गैरसायल न0 1 ता 4 प्रत्येक 1/20–1/20 के शेष हिस्से मे अन्य जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वादपत्र बावत तकस्मा के का है जो बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। इसलिये सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा गैरसायल न0 1 व 3 का काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को जैरकार रखना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तथा गैरसायल न0 1 व 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:39 IST
Reason: SelfAttested